

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी 2020—माघ 22, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्र. 2684-37-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०२०

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ३१ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ११ फरवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

“कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुंबई	(१) डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया	डी. ए.
	(२) डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन	डी. जी. एम.
	(३) डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन	डी. पी. एम.
	(४) डिप्लोमा इन जनरल सर्जरी	डी. जी. एस.
	(५) डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी.	डी. एम. आर. ई.
	(६) डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन	डी. ई. एम. ई.”

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2020

क्र. 2684-37-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 13 of 2020

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD (DWITIYA SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2019

[Received the assent of the Governor on the 31st January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th February, 2020.

An Act further to amend the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam, 1987.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Ayurvedigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990), after the existing entries, the following entries shall be added, namely:—

Amendment of Schedule.

“College of Physician and Surgeon, Mumbai	(1) Diploma in Anesthesia	D.A.
	(2) Diploma in General Medicine	D.G.M.
	(3) Diploma in Psychological Medicine	D.P.M.
	(4) Diploma in General Surgery	D.G.S.
	(5) Diploma in Medical Radiology and Electrology	D.M.R.E.
	(6) Diploma in Emergency Medicine	D.E.M.E.”.